प्रधानमंत्री की जर्मनी यात्रा के दौरान भारत-जर्मनी अंतर सरकारी वार्ता के दूसरे दौर में हस्ताक्षरित दस्तावेजों की सूची

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और जर्मनी की चांसलर एंगेला मार्केल ने बहुप्रतीक्षित भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के संदर्भ में पेश आने वाली मुश्किलों के समाधान के संकेत दिए हैं, हालांकि इस समझौते में अभी कुछ वक्त लग सकता है।

अंतरसरकारी वार्ता के बाद बर्लिन में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान एफटीए के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में सुश्री मार्केल ने कहा कि "हम इसके काफी करीब हैं (हालांकि) कुछ परेशानियां अभी भी हैं और अभी पूर्ण समझौता नहीं हुआ है।" डॉ. सिंह ने कहा कि "कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिसकी वजह से एफटीए पर समझौता नहीं हुआ है पर इस मामले में प्रगति हुई है।"

27 राष्ट्रों वाले यूरोपीय संघ में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार होने के नाते एफटीए के संदर्भ में जर्मनी का दृष्टिकोण काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए शुल्क सुरक्षा का स्तर, भारत के लिए डाटा सुरक्षा स्थिति और बीमा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत तक करने जैसे मुद्दे अब भी कायम हैं। डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि "हम बीमा क्षेत्र में सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं" भारतीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और संसदीय मंजूरी की आवश्यकता है।

दोनों देशों के मंत्रियों और अधिकारियों ने अंतरसरकारी सहमति ज्ञापन और आपसी सहमति की पांच घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जबकि आशय-पत्र संबंधी संयुक्त घोषणाएं जर्मन को भारत में विदेशी भाषा के रूप में संवर्धन, नागरिक सुरक्षा अनुसंधान क्षेत्र में सहयोग, खाद्य और कृषि, गुणवत्तापूर्ण अवसरंचना और 'स्वच्छ ऊर्जा गलियारे' के विकास से संबंधित थीं। इसका ब्यौरा निम्नलिखित है-

क्र.सं.	सहमति ज्ञापन का नाम	उद्देश्य
1.	भारत में विदेशी भाषा के रूप में जर्मन भाषा के संवर्द्धन पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय और जर्मनी के संघीय विदेश कार्यालय के बीच सहमति ज्ञापन की संयुक्त घोषणा।	जर्मन भाषा में बीएड कार्यक्रम लागू करने में सहयोग। आपसी विश्वास और अंतर सांस्कृतिक संबंधों को सुधारने के उद्देश्य से जर्मन भाषा में परास्नातक डिग्री कार्यक्रम और लघु प्रवास के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी।
2.	उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जर्मनी के बीच अंतर सरकारी सहमति ज्ञापन	विद्यार्थियों, शिक्षाविदों और परियोजना सहयोग में लोगों के बीच विचार विनिमय को सुलभ कराने का उद्देश्य
3.	नागरिक सुरक्षा अनुसंधान क्षेत्र में आशय-पत्र की संयुक्त घोषणा	भारत-जर्मन अनुसंधान सहयोग के इस नए क्षेत्र का उद्देश्य 2013 में 5 नई पायलट परियोजनाओं का वित्त पोषण करना। चिह्नित प्राथमिकता के क्षेत्र हैं

		आपदा प्रबंधन, जीव विज्ञानी जोखिम स्थिति, शहरी सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा व बचाव तथा नागरिक सुरक्षा संबंधी सामाजिक पक्ष।
4.	खाद्य, कृषि और उपभोक्ता मामलों के जर्मन संघीय मंत्रालय के 'कुपरेशंस कार्यक्रम' पर कृषि और सहकारिता विभाग तथा जर्मन खाद्य, कृषि और उपभोक्ता संरक्षण संघीय मंत्रालय तथा भारत के राष्ट्रीय बीज एसोसिएशन और जर्मन एसोसिएशन आफ प्लांट ब्रीडर्स के बीच संयुक्त घोषणा।	इसका उद्देश्य निम्न क्षेत्रों में सहयोग है -1. पौध प्रकार संरक्षण 2. पौध जेनेटिक संसाधनों का संरक्षण 3. भारत और जर्मनी के कृषि अनुसंधान संस्थानों और बीज कंपनियों के बीच सहयोग
5.	मानकीकरण अनुरूपता निर्धारण समीक्षा और उत्पाद सुरक्षा में सहयोग के लिए गुणवत्ता संपन्न संरचना पर भारत-जर्मन कार्यदल गठित करने के लिए उपभोक्ता मामलों, खाद्य और जन वितरण प्रणाली मंत्रालय तथा जर्मनी के इक्नॉमिक्स और टैक्नालॉजी संबंधी संघीय मंत्रालय के बीच आशय-पत्र की संयुक्त घोषणा	इसका उद्देश्य मानकीकरण, अनुरूपता निर्धारण और आर्थिक और तकनीकी सहयोग के जरिए उत्पाद सुरक्षा तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों में बातचीत को तेज करना और समन्वित प्रयास करना है। गुणवत्ता संपन्न संरचना पर भारत-जर्मन कार्यदल की स्थापना।
6.	स्वच्छ ऊर्जा गलियारे की स्थापना के लिए भारत-जर्मन विकास सहयोग पर जर्मनी और भारत के बीच आशय पत्र की संयुक्त घोषणा।	इसका उद्देश्य राष्ट्रीय ग्रिड के साथ अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को एकीकृत कर तकनीकी और वित्तीय सहयोग के जरिए भारत में नवीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना। तकनीकी सहयोग केएफडब्ल्यू और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एजेंसी (जीआईजी) जरिए किया जाएगा। इसका उद्देश्य अगले 6 वर्ष के लिए एक अरब यूरो से अधिक रियायती ऋण उपलब्ध कराना है।

स्रोत: प्रधानमंत्री कार्यालय, पत्र सूचना कार्यालय और एजेंसियां